"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 640] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/9/1888. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/9/1096 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला राजनांदगांव के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला राजनांदगांव की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	घुमका	बिजेतला	मुरमुंदा

जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	ढाबा	धर्मापुर	बजरंगपुर नवागांव, बरगाही, धर्मापुर, बागतराई, डिलापहरी
2	सोमनी	अंजोरा	टेडेसरा, देवादा, अंजोरा, कोपेडीह, मगरलोटा, जोरातराई, मनगटा
		मनकी	पार्रीकला, तोरनकट्टा, मनकी, सुंदरा
3	सुरगी	आरला	आरला, बुचीभरदा
4	भर्रेगांव		मोखला
5	सिंघोला	संबलपुर	करमतरा, कुतुलबोड भांठागांव, मरेठा नवागांव, भोथली, संबलपुर
6	रामपुर	बुद्धूभरदा बनहरदी	घोरदा, किरगी, बनहरदी, बुद्धूभरदा, कविराज टोलागांव
7	गठुला	बोईरडीह	भांठागांव, बोईरडीह, तुमड़ीलेवा, परेवाडीह
8	जोशीलमती	केसाल,	केसाल, हर्राटोला, गर्रापार, दैहान
9	कुहीकला	जयसिंगटोला	जयसिंगटोला, रामतराई, आलीवारा, खपराभाट, मेटेपार, लुडकाबोड, लुलीकसा
10	कल्लूबंजारी	बूचाटोला	आटरा, भकुर्रा, बूचाटोला, मोहगांव, आमगांव, गिधवाभवर
11	मोहारा	मुढिया	मुढिया, तेन्दुभाठा, चैतुखपरी, केशली, बिजनापुर
12	रूंवातला	कसारी	कसारी, ठेकवा, पेण्ड्री, अनियानवागांव

13	खुर्सीपार	खुडमुडी	सेम्हरा, गातापार, खुडमुडी, खैरा
14	खुर्सीपार	सोनेसरार	सोनेसरार
15	किरगी		मोखली, छुईखदान, सुखरी
16	मटिया	गोडलवाही	बडगांव, गोडलवाही, चितवाकोन्हा, आमाकट्टा, मासुलकसा, बावली, कारूटोला, तुमड़ीकसा, अरजकुण्ड, रानामटिया, माटराखुज्जी, पथरानवागांव, जामनारा, ग्वालिनडीह
17	छुरिया	घुपसाल	लाममेटा, कुमर्राछुरिया, घुपसाल, पडरामटोला
18	बम्हनीचारभाठा	झाडीखैरी	झाडीखैरी, बेदाड़ी, मालडोंगरी, बिजेपार, खेडेपार, गेंरूघाट
19	खोभा	सड़कचिरचारी	सड़कचिरचारी, पेन्ड्रीडीह, आंको, तेलिनबांधा, खडखडी, घोरतालाव, चाबुकनाला, बाघनदी, भर्रीटोला (ब)
20	मुसराकला	भानपुरी	भानपुरी, आलीवारा, कोलिहापुरी, गाडाभंवर
21	अछोली	देवकट्टा	देवकट्टा, कनहारगांव, भैसरा, कलकसा, लतमर्रा, लोहजरी, संडी
22	मड़ियान	झिंझारी	झिंझारी, सेनडोगर, मुंगलानी, कोहलाकसा
23	सीतागोटा	कनेरी	कनेरी, टाटेकसा, दीवानटोला, खैरबना, बागनदी, बोदालदण्ड
24	महराजपुर	रामपुर	रामपुर, रंगीटोला, जनकपुर
25	रामाटोला	झण्डातलाव	झण्डातलाव, मोतीपुर
26	तुमड़ीबोड	मचानपार	मचानपार, खैरी, धौराभाटा
27	सुकुलदैहान	हरदी	हरदी, बम्हनी, टेका, कन्हारडबरी
28	तिलईरवार	बम्हनीभाटा	बम्हनीभाटा, खम्हेरा, गनेरी
29	डोंगरगांव	घुघवा	घुघवा, साल्हे, गुंगेरी नवागांव, कोनारी, बरसनटोला, अमलीडीह, आरी
		मोहड़	माथलडबरी, मोहड़, कोहका, रेंगाकठेरा
30	खुर्सीटिकुल	आमगांव	आमगांव, अछोली, भंडारीभरदा, मुंजालकला

31	कुमरदा	चिरचारीकला	चिरचारीकला, मुंजालपाथरी, ठाकुरबांधा, चोरहाबंजारी
32	बादराटोला	आतरगांव	आतरगांव, पदगुडा, लक्ष्मण भरदा, पांण्डुका
33	चारभांठा कु.	धनगांव कु.	धनगांव, मानिकपुर, बंशीबंजारी
34	कोकपुर	आसरा	आसरा, अडाम
35	ठाकुरटोला	भोथली	भोथली, बिच्छीटोला, कुम्हडाटोला, कल्याणपुर, गाजमर्रा
36	बोरतलाव	पीपरखारकला	पीपरखारकला, खुर्सीपारकला, खमपुरा, बुढानछापर, भूरसाटोला
37	मेढ़ा	पिपरिया	पिपरिया, माटेकट्टा, खलारी, मेरेगांव, राका
38	मुड़पार	कुर्रुभाठ	कुर्रुभाठ, राजकट्टा, रामनगर, छिरपानी, बधियाटोला
39	कोलिहापुरी	रेंगाकठेरा	अमलीडीह, रेंगाकठेरा, पारागांव खुर्द, मुंदगांव
40	पदुमतरा	डुमरडीहकला	डुमरडीह कला, सेम्हरा दैहान, डोम्हाटोला, बुंदेलीकला, बुंदेलीखुर्द, धौराभांठा, चवेली, खपरीखुर्द
41	पटेवा	मासुल	मासुल, जुरलाखुर्द, खजरी, बोटेपार, खपरीचमार, मानपुर
42	भैसातरा	कौहाकुडा	अमलीडीह, कलकसा, कौहाकुडा, ढाबा, सहसपुरदल्ली, भरकाटोला, नागलदाह
43	उपरवाह	चवरढाल	चवरढाल, बरबसपुर, देवडोगर, महरूमखुर्द, भरदाखुर्द
44	बघेरा	नवागांव	नवागांव, बिरेझर, फुलझर, बैगाटोला

जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – तीन

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.